B. A. Part-1 Sociology (Hons.) Paper-I **(Dr. Pramod Gandhi-06/04/2020)**
&

B. A. Part-1 Sociology (Subsidiary) Paper

समुदाय व संस्था में अन्तर

समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पायी जाती है। संस्था मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि–विधानों व कार्य–प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य हो। अतः इन विशेषताओं के आधार पर समुदाय व संस्था में अन्तर होना स्वाभाविक है। वे अन्तर निम्नांकित हैं:–

क्र. सं.	समुदाय	संस्था
1	समुदाय से सदस्यता का बोध होता है। अर्थात् समुदाय मनुष्यों का समूह है।	संस्था से किसी सदस्यता का बोध नहीं होता वरन् संस्था नियमों, विधि–विधानों व कार्य–प्रणालियों का संगठित रूप है।
2	समुदाय मूर्त्त होता है।	संस्था एक अमूर्त्त धारणा है।
3	समुदाय के लिए निश्चित भू–भाग का होना आवश्यक है।	संस्था के लिए निश्चित भू–भाग का होना आवश्यक नहीं है।
4	समुदाय स्वयं–साध्य होते हैं जिसमें सदस्य सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।	संस्था एक साधन मात्र है जो कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
5	समुदाय का विकास सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वतः होता है।	संस्था का विकास किन्हीं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होता है।
6	एक समुदाय में कई संस्थाएं हो सकती हैं।	संस्था स्वयं समुदाय न होकर समुदाय के अन्तर्गत निहित होती है।
7	समुदाय व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों पर आधारित एक संगठन होता है।	संस्था व्यक्तियों की सामूहिक क्रिया पर आधारित कार्य–प्रणाली व नियमों का संगठित रूप होती है।

दहेज प्रथा क्या है?

इक्कीसवीं सदी में हम अपने आप को विकसित तो कहते हैं परंतु आज भी हम सदियों पुराने रीति रिवाजों की बेड़ियों में फसे हैं। किसी न किसी प्रकार से हमारे समाज में आज भी दहेज लिया और दिया जाता है। दहेज प्रथा हमारे देश के पुरूष प्रधान समाज को दर्शाती है और यह बताती है कि आज भी भारत में महिलाओं को निम्न स्तर का दर्जा दिया जाता है और वह इस समाज का शक्तिहीन अंग है। वर्तमान में माता–पिता के प्यार तथा स्नेह भरे हृदय पर सबसे भयंकर वज्रपात दहेज का होता है क्योंकि इस दहेज प्रथा ने समाज में अपने वीभत्स सीमा को पार करके एक कुलंषित कलंक बन चुका है। इस युग में दहेज जैसी कुप्रथा समूची मानवता और उसकी नैतिकता के लिए घोर अपमान है।

दहेज प्रथा का अर्थ

दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द से रूपान्तरित होकर उर्दू और हिन्दी में आया है, जिसका अर्थ होता है तोहफा (भेंट)। सामान्य रूप से जो सम्पत्ति विवाह के समय कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दान, उपहार तथा पुरस्कार स्वरुप दिया जाता है, उसे दहेज कहते हैं। एक पुरानी प्रथा के रूप में दहेज भारत में सदियों से चलता आ रहा है और इसके तहत लड़की के परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में यह लड़के के परिवार को लड़की के साथ दिया जाता है।

आज के समय में दहेज एक सामाजिक अभिशाप या कुरीति अथवा कंलक है जिसको विवाह की एक शर्त के रूप में कन्यापक्ष द्वारा वरपक्ष को विवाह से पूर्व या बाद में अवश्य देना पड़ता है। वास्तव में दहेज की अपेक्षा इसे वर खरीदना कहना कहीं अधिक उचित है क्योंकि अब दहेज प्रथा एक विशुद्ध सौदेबाजी बनकर रह गयी है। उसकी राशि और उसका स्वरुप निर्धारित होने लगा। दहेज को लेकर सौदेबाजी होने लगी। कन्या–पक्ष को वर पक्ष की मांग के अनुसार ही दहेज जुटाना पड़ता है। दहेज में कार, टेलीविजन, A.C.के साथ–साथ नकद नारायण की भी मांग की जाती है। आज लड़कों का विवाह करना उसके अभिभावको के लिए बेशर्मी की सीमा तक एक लाभदायक सौदा बन गया है और कन्या पक्ष के लिए विवशता। इस समय माता पिता अपनी बेटी को दहेज इसलिए देते हैं जिससे की वो अपने पति के घर में सुरक्षित रह सके। क्योकि अगर दुल्हन शादी के बाद घर में दहेज नहीं लाई तो उसको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। इसी कारणवश माता–पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए दहेज देते हैं और दुल्हे के परिवार की सभी शर्तें भी पूरी करते हैं। माता पिता द्वारा दिए गए पैसे और गहनों को स्त्रीधन के नाम से बुलाया जाता है वैसे तो यह सब उस लड़की का होता है परंतु ससुराल में आने के पश्चात् यह सब कुछ और अन्य दहेज लड़के वालो का हो जाता है।

दहेज देने की कोई सीमा नहीं है। यह सब निर्भर करता है लड़के की नौकरी पर, उनके समाजिक स्तर पर और उनकी मांगो पर। दहेज प्रथा से यह भी बताया जाता है कि लड़की के गुणों और उसकी अच्छाइयों से बढ़कर दहेज होता है। लड़के के पालन पोषण और उसकी पढ़ाई के जीवन भर के खर्च के रूप में दहेज दिया जाता है। भारत में एक बड़ी जनसंख्या है जो लोन लेकर और ज्यादा ब्याज पर उधार लेकर लड़की की शादी में मांगा गया दहेज देती है। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कन्या भ्रूण हत्या का सहारा लिया जाता है कि अगर लड़की पैदा ही नहीं होगी तो दहेज देना ही नहीं पड़ेगा। आज भी भारत में एक बेटी के जन्म को दुख और शौक के साथ मनाया जाता है। वहीं अगर बेटे का जन्म हुआ तो स्थित बिल्कुल विपरीत होती है।